



25/1/97

25/1/97

25/1/97

27/1/97

27/1/97

श्री अदालत अंचल अधिकारी देवघर ।

नार्मांतरण का सं 213/96-97

श्री महेंद्र प्रसाद यादव - आवेदक

आदेश दिनांक 18.10.96 की प्रतिलिपि

अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित ।

21/10/96
18.10.96

आदेश

श्री अभिलेख आवेदक श्री महेंद्र प्रसाद यादव पिता

श्री 0 जमुना शं यादव सा 0 सुन्दरतील धाना-धारहरा जिला-मुंगेर के आवेदन पत्र के आधार पर खोला गया है। जो मौजा शालीनार्डी धाना नं 253 जं नं 21/3429 टी 0 पी 0 नं 259 रकबा 2822' वर्गमीटर

जमीन के नार्मांतरण से संबंधित है। हल्का कर्मचारी श्री अंचल निरीक्षक से अभिलेख के आधार पर जांच कराई गई। सोलाह

जमीना रूचत की कोटिस की गई। जिसे भी व्यक्ति द्वारा आपात

दोषिल नहीं किया गया।

हल्का कर्म 0 श्री अं 0 मि 0 के प्रतिवेदन के अवलोकन

पर मालूम होता है कि मौजा शालीनार्डी धाना नं 253 जं नं 21/

3429 टी 0 पी 0 नं 259 रकबा 0-8-15 चूर वर्तमान पंजी 0 श्री

मति आशा सिंह पति श्री 0 श्री 0 सिंह सा 0- विलियम्स राउण देवघर

के नाम से दर्ज है। विषयगत जमावदी के टी 0 पी 0 नं 259 अंश

रकबा 2822' वर्गमीटर जमीन आवेदक ने जमावदी रूचत से खोला

दखलकार है। जमीन वसोड़ी सल्ल की है तथा भूदान रूचत लगे है

मुक्त है। हल्का कर्म 0 श्री अं 0 मि 0 ने नार्मांतरण की अनुशंसा की है।

अतः केनाला, दरखल, हल्का कर्म 0 श्री अं 0 मि 0 के अनुशंसा

के आधार पर मौजा शालीनार्डी धाना नं 253 जमावदी नं 21/3429

अदालत

(10/30)





— 2 —

भारत शी.पो.नं० ३५१ अ अंश रकना २४ २३' वर्गमी० जमीन का नामांतरण आवेदक श्री नैन्दर प्र० गदम पिताशं० जमुना प्र० यादव सा० सुन्दरश्री० पाना-धरहरा जिला-मुंगेर के नाम से करने की स्वीकृति दी जाती है। अनुसंधारित सजाव ५.५० रु० अलावे शैश्व मालगीय होगा। आवेदक से २.० रु० नाब मुल्क प्राप्त की। कार्यवाही अधिकारी के प्रतिपत्ति में शुद्धि पत्र हस्तक्षरार्थ उपस्थापित करें। हस्ताक्षरित शुद्धि पत्र की दो प्रति ६० रु० के हस्तगत करें। ६० रु० से दिनांक २५/१०/१६ तक अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर अजिलेख उपस्थापित करें।



लिखाया रु० सु० रु०
 ६० रु० ५०
 २१० ३१०

६० रु० ५०
 १६/१०/१६
 ३१० ३१०

M.M.
 २७-१-१७

नज्जल जिधा एवं पका

२७-१-१७

सिलान किथी

सूची प्रतिलिपि
 दिनांक २७/१०/१६
 प्रथम सहायक
 संयुक्त कार्यालय देवर

१८९२ के अधिनियम १ की धारा
 ७६ के तहत अधिकृत

Gedam